



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10012026-269241
CG-MH-E-10012026-269241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947

No. 14]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSHA 17, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 6 जनवरी, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026

फा. सं. फेमा 8(आर)/2026-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8 /2000-आरबी का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या की जाने वाली चीजों को छोड़कर, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, यथा:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ.- (1) इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

(ख) "प्राधिकृत व्यापारी" का अर्थ है वह व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) "लेनदार" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे गारंटी दी गई है;

(घ) "गारंटी", जिसमें "प्रति-गारंटी" भी शामिल है, का अर्थ है ऐसा अनुबंध, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाये, जो वादे को पूरा करने, या ऋण, दायित्व या अन्य देनदारी (ऋणों, दायित्वों या अन्य देनदारियों के पोर्टफोलियो सहित) को चुकाने के लिए हो, यदि मुख्य देनदार डिफॉल्ट करता है;

(ङ) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" या "आईएफएससी" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 के खंड (छ) में विनिर्दिष्ट है;

(च) "मुख्य देनदार" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके चूक के संबंध में गारंटी दी गई है;

(छ) "जमानतदार" का अर्थ है वह व्यक्ति जो गारंटी देता है।

(2) इस विनियमावली में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमावली या विनियमावली में विनिर्दिष्ट है।

3. निषेध.- अधिनियम अथवा अधिनियम के तहत जारी नियमों या विनियमों या निदेशों या भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, भारत में निवासी कोई व्यक्ति, इस विनियमावली के अनुसार के अलावा, किसी गारंटी का पक्षकार (मुख्य देनदार, जमानतदार या लेनदार) नहीं होगा, जहां गारंटी का कोई अन्य पक्षकार भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति हो।

4. छूट.- इस विनियमावली में निहित कोई भी प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

(क) भारत के बाहर या आईएफएससी में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा द्वारा दी गई गारंटी जब तक कि गारंटी के अन्य पक्षों में से कोई भी व्यक्ति भारत का निवासी न हो।

(ख) एक अभिरक्षक बैंक की क्षमता में एक प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जारी की गई एक अप्रतिसंहरणीय भुगतान प्रतिबद्धता (आईपीसी), जहां मुख्य देनदार एक पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है और लेनदार भारत में एक प्राधिकृत केंद्रीय प्रतिपक्षकार है।

(ग) विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 के अनुसार दी गई गारंटी।

5. जमानतदार या मुख्य देनदार के रूप में कार्य करने की अनुमति.- भारत में निवासी कोई व्यक्ति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, किसी गारंटी के लिए जमानतदार या मुख्य देनदार के रूप में कार्य कर सकता है-

(क) अंतर्निहित लेन-देन जिसके लिए गारंटी दी जा रही है या गारंटी की व्यवस्था की जा रही है, अधिनियम या अधिनियम के तहत जारी नियमों या विनियमों या निदेशों के तहत निषिद्ध नहीं है; और

(ख) जमानतदार और मुख्य देनदार समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2018 के तहत क्रमशः एक-दूसरे को उधार देने एवं उधार लेने के लिए पात्र हैं:

बशर्ते कि खंड (ख) उस गारंटी पर लागू नहीं होगा -

(i) जो प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा दी गई हो और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति की प्रति-गारंटी द्वारा कवर हो या उससे प्राप्त 100% संपार्श्विक जमा के बदले जारी की गई हो; या

(ii) जो भारत के बाहर निगमित किसी शिपिंग या एयरलाइन कंपनी के भारत में एजेंट द्वारा कंपनी की ओर से भारत में किसी सांविधिक या सरकारी प्राधिकरण के प्रति उसके दायित्व या देनदारी के संबंध में दी गई हो; या

(iii) जहां जमानतदार और मुख्य देनदार दोनों भारत में निवासी व्यक्ति हैं।

6. लेनदार के रूप में गारंटी प्राप्त करने की अनुमति.- भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो लेनदार है वह अपने पक्ष में गारंटी की व्यवस्था कर सकता है या प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि जहां मुख्य देनदार और जमानतदार दोनों भारत के बाहर निवासी व्यक्ति हैं, तो लेनदार यह सुनिश्चित करेगा कि अंतर्निहित लेन-देन अधिनियम, या अधिनियम के तहत जारी नियमों या विनियमों या निदेशों के तहत निषिद्ध नहीं है।

7. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं.- (1) इस विनियमावली के तहत दी गई गारंटियों की रिपोर्टिंग की जाएगी-

(क) जमानतदार द्वारा यदि वह भारत का निवासी व्यक्ति है; या

(ख) मुख्य देनदार द्वारा जिसने गारंटी की व्यवस्था की है और जहां जमानतदार भारत के बाहर निवासी व्यक्ति है; या

(ग) लेनदार द्वारा जहां जमानतदार और मुख्य देनदार दोनों भारत के बाहर निवासी व्यक्ति हैं या जहां लेनदार ने गारंटी की व्यवस्था की है।

(2) गारंटी की रिपोर्ट करने का दायित्व रखने वाला व्यक्ति, (क) गारंटी जारी करने, (ख) गारंटी की शर्तों में बाद में किसी भी के परिवर्तन, यथा - गारंटी राशि, अवधि का विस्तार या पूर्व-समाप्ति, और (ग) गारंटी के आह्वान, यदि कोई हो, की रिपोर्ट इन विनियमावली के अनुबंध में दिए गए प्रारूप में करेगा।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार रिपोर्टिंग, तिमाही आधार पर, संबंधित तिमाही की समाप्ति से पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर, प्राधिकृत व्यापारी बैंक को की जाएगी ताकि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जा सके।

(4) प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस विनियमावली के तहत प्राप्त विवरणियों को भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तरीके और प्रारूप में संबंधित तिमाही की समाप्ति से तीस कैलेंडर दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

8. विलंबित रिपोर्टिंग के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क.- (1) भारत में निवासी व्यक्ति जो विनियम 7 के उप-विनियम (3) के तहत विनिर्दिष्ट अपने रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा नहीं करता है, वह विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क के साथ ऐसी रिपोर्टिंग कर सकता है या विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क का भुगतान कर सकता है जहां ऐसी रिपोर्टिंग में देरी हुई है।

(2) विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क ₹ 7500 + 0.025% x A x n होगा, जिसे निकटतम सौ तक पूर्णांकित किया जाएगा, जहाँ,

(क) "n" प्रस्तुत करने में हुई देरी के वर्षों की संख्या है, जिसे निकटतम महीने तक पूर्णांकित किया गया है और 2 दशमलव अंक तक व्यक्त किया गया है; और

(ख) "A" विलंबित रिपोर्टिंग में शामिल राशि है, जो कि रुपये में है।

अनुबंध

फॉर्म – जीआरएन

(विनियमन 7 देखें)

(कैलेंडर वर्ष _____ के मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए)

भाग क: रिपोर्टिंग पक्ष का विवरण

1.	नाम *	
2.	पैन *	
3.	एलईआई	
4.	सीआईएन	

भाग ख: जारी की गई गारंटी की रिपोर्टिंग (प्रत्येक गारंटी के लिए भाग ख अलग से भरें)

5.	जमानतदार का विवरण	
i.	नाम *	
ii.	पैन	
iii.	एलईआई	
iv.	सीआईएन	
v.	आवासीय स्थिति *	निवासी/अनिवासी
vi.	जमानतदार और मुख्य देनदार के बीच संबंध *	क. मुख्य देनदार के पेरेंट ख. मुख्य देनदार की समूह इकाई ग. जमानतदार का कोई संबंध नहीं है और वह एक बैंक है घ. जमानतदार का कोई संबंध नहीं है और यह कोई अन्य वित्तीय संस्था है ङ. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____
vii.	प्रमुख गतिविधि *	एनआईसी कोड:
6.	मुख्य देनदार का विवरण	
i.	नाम *	
ii.	पैन	

iii.	एलईआई	
iv.	सीआईएन	
v.	आवासीय स्थिति *	निवासी/अनिवासी
vi.	प्रमुख गतिविधि *	एनआईसी कोड:
7.	लेनदार का विवरण	
i.	नाम *	
ii.	पैन	
iii.	एलईआई	
iv.	सीआईएन	
v.	आवासीय स्थिति *	निवासी/अनिवासी
vi.	लेनदार की श्रेणी *	क. बैंक ख. अन्य वित्तीय संस्थान ग. मुख्य देनदार के पेरेंट घ. मुख्य देनदार की समूह इकाई ङ. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)_____
vii.	प्रमुख गतिविधि *	एनआईसी कोड:
8.	गारंटी का विवरण	
i.	गारंटी का प्रकार *	(a) वित्तीय (ख) अन्य
ii.	मुख्य देनदार और लेनदार के बीच अंतर्निहित लेनदेन *	
iii.	गारंटी की राशि *	करेंसी: धनराशि:
iv.	जारी करने की तारीख *	___/___/___ (dd/mm/yyyy)
v.	वैधता तिथि *	___/___/___ (dd/mm/yyyy)
vi.	गारंटी कमीशन (करार के अनुसार) (करेंसी और राशि) *	करेंसी: धनराशि:
vii.	जहां जमानतदार एक एडी बैंक है, काउंटर गारंटी या संपार्श्विक जमा का विवरण, यदि कोई हो।	काउंटर गारंटर/जमाकर्ता का नाम: आवासीय स्थिति: निवासी / अनिवासी काउंटर गारंटी/ जमा की करेंसी: काउंटर गारंटी/ जमा की धनराशि:

भाग ग: संशोधन/पूर्व-समापन का विवरण (प्रत्येक संशोधित गारंटी के लिए एक भाग ग)

9.	पूर्व में रिपोर्ट की गई गारंटी लेनदेन संख्या *	
10.	क्या राशि में कोई बदलाव हुआ है? यदि हाँ, तो नई राशि बताएं	
11.	क्या वैधता अवधि बढ़ाई गई है? यदि हाँ, तो नई वैधता तिथि बताएं	

12.	क्या समय से पहले बंद की गई है? यदि हाँ, तो बंद होने की तिथि बताएं	
-----	---	--

भाग घ: आह्वान का विवरण (प्रत्येक गारंटी आह्वान के लिए एक भाग घ)

13.	पूर्व में रिपोर्ट की गई गारंटी लेनदेन संख्या *	
14.	आह्वान की तिथि *	__/__/____ (dd/mm/yyyy)
15.	गारंटी के आह्वान और उसके पालन पर जमानतदार के प्रति उत्पन्न होने वाली देयता की राशि *	करेंसी: धनराशि:
16.	आह्वान का भुगतान *	(क) हाँ, आंशिक रूप से (ख) हाँ, पूरी तरह से (ग) नहीं
17.	भुगतान की तिथि	__/__/____ (dd/mm/yyyy)
18.	भुगतान की राशि	करेंसी: धनराशि:
19.	जमानतदार के प्रति परिणामी देयता को समाप्त करने के लिए सहमत अवधि (गारंटी के आह्वान की तारीख से)	(क) 1 वर्ष से कम (ख) 1 वर्ष या उससे अधिक व 3 वर्ष से कम (ग) 3 वर्ष या उससे अधिक

रिपोर्टिंग करने वाले पक्ष के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर				स्टाम्प/सील
प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम				
स्थान		दिनांक		
टेलीफोन नं.		ईमेल		
संलग्नकों की सूची				

फॉर्म भरने के अनुदेश

- 1) यह फॉर्म भारत में निवासी व्यक्ति, जिस पर इन विनियमावली के विनियम 7 के अंतर्गत रिपोर्टिंग दायित्व है, द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 2) गारंटी जारी करने के लिए भाग क और भाग ख जमा किए जाएंगे। गारंटी में किसी भी बदलाव या उसका आह्वान करने की जानकारी भाग क और भाग ग या घ में भरकर दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। किसी भी भाग के लिए, जिन फ़ील्ड पर तारांकन (*) का निशान है, उन्हें भरना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के एलईआई, सीआईएन, पैन जैसे सभी अन्य फ़ील्ड, जहाँ भी जानकारी उपलब्ध हो, भरे जाएंगे। एनआईसी कोड एनआईसी 2025 के अनुसार 2-अंक तक रिपोर्ट किया जाएगा।
- 3) यदि एक ही गारंटी के लिए एक से अधिक जमानतदार/ मुख्य देनदार/ लेनदार हों, तो उनमें से किसी को भी उस गारंटी की रिपोर्टिंग करने के लिए नामित किया जा सकता है।
- 4) पिछली अवधि में दी गई गारंटी की शर्तों में कोई भी परिवर्तन या उसके बंद होने की सूचना लेनदेन संख्या के साथ उसी फॉर्म में दी जाएगी। इस विनियमावली के लागू होने से पहले जारी की गई गारंटियों में परिवर्तन को संशोधन की तारीख से जारी गारंटी के रूप में दर्ज किया जाएगा।

- 5) यदि गारंटी एक ही रिपोर्टिंग अवधि के भीतर जारी और संशोधित की जाती है, तो इसे दो अलग-अलग गारंटियों के रूप में दर्ज किया जाएगा। पहली गारंटी संशोधन की प्रभावी तिथि से एक दिन पहले समाप्त मानी जाएगी और दूसरी गारंटी संशोधन की प्रभावी तिथि से शुरू मानी जाएगी। यदि गारंटी एक ही रिपोर्टिंग अवधि के भीतर जारी और समाप्त की जाती है, तो मूल गारंटी को भाग ख में वैधता तिथि के रूप में समाप्त होने की तिथि के साथ रिपोर्ट किया जाएगा।
- 6) भारतीय रिज़र्व बैंक यहाँ दी गई जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

डॉ. आदित्य गैहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./591/2025-26]

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th January, 2026

Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2026

F. No. FEMA 8(R)/2026-RB.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 and sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA 8/2000-RB dated May 3, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Reserve Bank of India makes the following regulations namely:

1. Short title and Commencement.— (1) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(b) “Authorised dealer” means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;

(c) “Creditor” means a person to whom the guarantee is given;

(d) “Guarantee” including a “counter-guarantee” means a contract, by whatever name called, to perform the promise, or discharge a debt, obligation or other liability (including a portfolio of debts, obligations or other liabilities), in case of default by the principal debtor;

(e) “International Financial Services Centre” or “IFSC” shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of Section 3 of the International Financial Services Centres Authority, 2019 (50 of 2019);

(f) “Principal debtor” means a person in respect of whose default the guarantee is given;

(g) “Surety” means a person who gives a guarantee.

(2) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or rules or regulations made thereunder.

3. Prohibition.— Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations or directions issued under the Act or with the general or special permission of the Reserve Bank of India, no person resident in India shall, except in accordance with these regulations, be a party (principal debtor, surety or a creditor) to a guarantee where any of the other parties to the guarantee is a person resident outside India.

4. Exemptions.— Nothing contained in these Regulations shall apply to the following:

- a guarantee undertaken by a branch of an authorised dealer bank outside India or in an IFSC, unless any of the other parties to the guarantee is a person resident in India.
- an Irrevocable Payment Commitment (IPC) issued by an authorised dealer in its capacity of a custodian bank, where the principal debtor is a registered Foreign Portfolio Investor and the creditor is an authorised central counterparty in India.
- a guarantee given in accordance with the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations, 2022.

5. Permission to act as a surety or a principal debtor.- A person resident in India may act as a surety or a principal debtor for a guarantee, subject to conditions that –

- (a) the underlying transaction for which the guarantee is being given or arranged is not prohibited under the Act or rules or regulations or directions issued under the Act; and
- (b) the surety and the principal debtor are eligible to lend to and borrow from each other, respectively, under the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018, as amended from time to time: Provided that clause (b) shall not apply to a guarantee –
 - (i) given by an authorised dealer bank and covered by a counter-guarantee or issued against 100% collateral in the form of a deposit, from a person resident outside India; or
 - (ii) given by an agent in India of a shipping or airline company incorporated outside India on behalf of such company in connection with its obligation or liability owed to any statutory or Government authority in India; or
 - (iii) where both the surety and the principal debtor are persons resident in India.

6. Permission to obtain a guarantee as a creditor.- A person resident in India being a creditor may arrange or obtain a guarantee in its favour, subject to the condition that where the principal debtor and surety both are persons resident outside India, the creditor shall ensure that the underlying transaction is not prohibited under the Act, or rules or regulations or directions issued under the Act.

7. Reporting requirements.- (1) Guarantees covered under these regulations shall be reported –

- (a) by the surety where he is a person resident in India; or
- (b) by the principal debtor who has arranged the guarantee and where the surety is a person resident outside India; or
- (c) by the creditor where the surety and the principal debtor both are persons resident outside India or where the creditor has arranged the guarantee.

(2) The person having the obligation to report the guarantee shall report, (a) issuance of guarantee, (b) any subsequent change in guarantee terms, namely - guarantee amount, extension of period or pre-closure, and (c) invocation of guarantee, if any, in the format provided at Annex to these regulations.

(3) Reporting, as provided in sub-regulations (1) and (2), shall be made to an authorised dealer bank on a quarterly basis within fifteen calendar days from the end of the respective quarter for onward submission to the Reserve Bank of India.

(4) An authorised dealer bank shall submit the returns received under this regulation to the Reserve Bank of India in the manner and format advised for this purpose within thirty calendar days from the end of the respective quarter.

8. Late Submission Fee for delayed reporting.- (1) A person resident in India who does not meet its reporting obligations, as specified under sub-regulation (3) of regulation 7, may do such reporting along with Late Submission Fee or make payment of Late Submission Fee where such reporting has been done with a delay.

(2) The Late Submission Fee shall be ₹ 7500 + 0.025% x A x n, rounded upwards to the nearest hundred, where,

- (a) “n” is the number of years of delay in submission, rounded-upwards to the nearest month and expressed up to 2 decimal points; and
- (b) “A” is the amount involved in the delayed reporting in INR.

Annex

Form – GRN

(See regulation 7)

(For the quarter ended March/June/September/December of the calendar year _____)

Part A: Details of the reporting party

1.	Name *	
2.	PAN *	
3.	LEI	
4.	CIN	

Part B: Reporting of guarantees issued (Fill separate Part B for each guarantee)

5.	Details of the Surety	
i.	Name *	
ii.	PAN	
iii.	LEI	
iv.	CIN	
v.	Residential status *	resident /non-resident
vi.	Relationship between surety and the principal debtor *	a. Parent of the principal debtor b. Group entity of the principal debtor c. Surety not related and a bank. d. Surety is not related and is any other financial institution e. Others. (please specify)_____
vii.	Major activity *	NIC code:
6.	Details of the Principal debtor	
i.	Name *	
ii.	PAN	
iii.	LEI	
iv.	CIN	
v.	Residential status *	resident /non-resident
vi.	Major activity *	NIC code:
7.	Details of the creditor	
i.	Name *	
ii.	PAN	
iii.	LEI	
iv.	CIN	
v.	Residential status *	resident /non-resident
vi.	Category of creditor *	a. Bank b. Other financial institution c. Parent of the principal debtor d. Group entity of the principal debtor e. Others. (please specify)_____
vii.	Major activity *	NIC code:
8.	Details of Guarantee	
i.	Type of guarantee *	(a) Financial b. Other
ii.	Underlying transaction between principal debtor and creditor *	
iii.	Guarantee Amount *	Currency: Amount:

iv.	Issue date *	__/__/____ (dd/mm/yyyy)
v.	Validity date *	__/__/____ (dd/mm/yyyy)
vi.	Guarantee Commission (as per the agreement) *	Currency: Amount:
vii.	Where the surety is an AD bank, details of counter guarantee or collateral deposit taken, if any.	Name of the counter guarantor/ depositor: Residential status: Resident/ Non-resident Currency of guarantee/ deposit: Amount of guarantee/ deposit:

Part C: Details of modification/pre-closure (One Part C per guarantee modified)

9.	Previously reported guarantee transaction number *	
10.	Whether amount changed? If yes, provide new amount	
11.	Whether validity period extended? If yes, provide new validity date	
12.	Whether pre-closed? If yes, provide the date of closure.	

Part D: Details of invocation (One Part D per guarantee invocation)

13.	Previously reported guarantee transaction number *	
14.	Date of invocation *	__/__/____ (dd/mm/yyyy)
15.	Amount of liability created towards the surety on invocation and honouring of the guarantee *	Currency: Amount:
16.	Invocation honoured *	(a) Yes, Partially (b) Yes, Completely (c) No
17.	Date of payment	__/__/____ (dd/mm/yyyy)
18.	Amount of payment	Currency: Amount:
19.	Agreed period for extinguishing the resultant liability towards the surety (from the date of invocation of the guarantee)	(a) Less than 1 year (b) More than or equal to 1 year but less than 3 years (c) More than or equal to 3 years

Signature of the authorised official of the reporting party				Stamp/ seal
Name & designation of the Authorised Official				
Place		Date		
Telephone No.		Email		
List of enclosures				

Instructions for filling up the form

- 1) *The form is required to be submitted to the authorised dealer bank by the person resident in India with the reporting obligation under regulation 7 of these regulations.*
- 2) *Part A and B shall be submitted for issuance of guarantee. Any subsequent change or invocation of guarantee shall be reported by filling Part A and Part C or D, as the case may be. For any given part, fields marked with asterisk (*) are mandatory. All other fields such as LEI, CIN, PAN of parties other than reporting party, shall be filled wherever details are available. NIC Code shall be reported till 2-digit as per NIC 2025.*
- 3) *In case of more than one surety/ principal debtor/ creditor to the same guarantee, any of them can be designated to report that guarantee.*
- 4) *Any change in guarantee conditions of the guarantee reported in the previous period or its closure shall be reported along with the transaction number. Change of guarantees issued prior to coming into effect of these regulations shall be reported as fresh issuance of guarantee from the date of modification.*
- 5) *In case the guarantee is issued and modified within the same reporting period, it shall be reported as two separate guarantees with the first guarantee deemed to have ended one day prior to the effective date of modification and second guarantee deemed to have started on the effective date of modification. In case the guarantee is issued and closed within the same reporting period, the original guarantee shall be reported in Part B with validity date as the date of closure.*
- 6) *Reserve Bank of India reserves the right to put the information furnished here in the public domain.*

Dr. ADITYA GAIHA, Chief Genl. Manager-In-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./591/2025-26]